Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर में ग्राम विकास अधिकारी 8 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *29 जून, बुधवार* / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर द्वारा आज लक्ष्मणगढ़, अलवर में कार्यवाही करते हुये गौरव मेठी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जावली, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर को परिवादी से **8 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की विशेष अनुसंधान इकाई, जयपुर को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि सिंगल फेज बोरिंग कार्य के बिल पास करने में कमीशन के रूप में गौरव मेठी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जावली, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर द्वारा 24 **हजार रूपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, एस.आई.यू., जयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजंरग सिंह शेखावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री परमेश्वर लाल** उनकी टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये गौरव मेठी पुत्र श्री कैलाश चंद निवासी प्लॉट नं0 26–ए, प्रेमनगर, अलवर हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जावली, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर को 8 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा शिकायत से पहले ही परिवादी से **5 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।